न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

विविध पुनरीक्षण वाद संख्या– 03/2014

उपेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य बनाम सुभाष चन्द्र सिंह एवं अन्य

आदेश

27.7.2015 उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा विविध वाद संख्या–29/2012 सुभाष चन्द्र सिंह बनाम उपेन्द्र नारायण सिंह वगैरह में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी रिटर्न के आधार पर इस वाद के विपक्षी के विभिन्न फरीकैनों के बीच अवर न्यायाधीश, मधेपुरा के यहाँ अधिकार वाद संख्या–94/1966 में तसफीया के आधार पर दिनांक 09.09.1970 को डिक्री निष्पादित किया गया जिसमें 07 सिड्यूल बना। उक्त सात सिड्यूल में सिड्यूल नं0–5,6 एवं 7 इजमाइल रहा जिसका बँटवारा न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। सिड्यूल नं0–01 शिवशंकर सिंह वो सुभाष चन्द्र सिंह वो संजय कुमार सिंह को मिला, जो इस वाद के विपक्षी है तथा सिड्यूल नं0–02 जनार्दन प्रसाद सिंह, सिड्यूल नं0–02 'क' उपेन्द्र नारायण सिंह, जितेन्द्र नारायण सिंह, वसंत कुमार सिंह, सरोज कुमार सिंह वो मनोज कुमार सिंह को पड़ा जो इस वाद में रिवीजनकर्त्ता हैं।

निम्न न्यायालय में इस बाद के विपक्षी का तर्क था कि स्व0 जनार्दन प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 तारणी प्रसाद सिंह खानदान के बड़े भाई वो मालिक थे तथा चालाकी से खानदानी जमीन जायदाद को अपने लाभ में विपक्षी एवं अन्य के हक हिस्से की जमीन को अंचल कार्यालय को मेल में लेकर अवैधानिक तरीके से जमाबन्दी अपने नाम व भाई बैधनाथ प्रसाद सिंह वो अपने लड़के उपेन्द्र नारायण सिंह वगैरह वो भतीजा मदन प्रसाद सिंह वगैरह व अन्य फर्जीदारों के नाम अधिकार वाद संख्या–94/66 के सिड्यूल से प्राप्त हक हिस्से से ज्यादा का जमाबन्दी कायम करा कर अपने दखल कब्जा में लेकर बहुत जमीन की बिक्री भी कर दिये। विपक्षी के द्वारा मौजा धकजरी, भरौली, अमरपुर, पड़बिनियाँ, सुलिन्दाबाद एवं सहरसा मौजा में कायम अवैधानिक जमाबन्दी की सूची भी दिया गया जो अंचल कार्यालय, कहरा द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर अंकित किया गया है।

निम्न न्यायालय में विपक्षी का यह भी तर्क था कि अधिकार वाद संख्या–94/66 के डिक्री से कायम सिड्यूल 01 के संयुक्त जमाबन्दी को अधिकार वाद संख्या–21/2008 के डिक्री के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–3287/2009–10 से विपक्षी सुभाष चन्द्र सिंह के नाम से कायम जमाबन्दी में दर्ज खाता खेसरा रकवा की जमीन का हल्का कर्मचारी के द्वारा अन्य जमाबन्दी में खाता खेसरा रकवा दर्ज कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया जाता रहा है। जिससे नामान्तरण वाद संख्या–3287/2009–10 का खाता खेसरा रकवा अन्य रैयत के नाम जमाबन्दी में कायम होकर रसीद निर्गत किया गया, जिससे एक खाता, खेसरा, रकवा की जमीन का जमाबन्दी दो रैयतों के नाम से कायम हो गया।

निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के उपरोक्त दोनों तथ्यों पर सुनवाई कर आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश चूँकि अवर न्यायाधीश मधेपुरा के द्वारा अधिकार वाद संख्या–94/1966 मे तसफीया आवेदन के आधार पर कायम डिक्री के आधार पर है तथा उक्त डिक्री से जो हक हिस्सा सभी फरिकैनों को मिला उसके अनुसार जमाबन्दी कायम करने का आदेश अंचल अधिकारी, कहरा को दिया गया तथा नामान्तरण वाद

संख्या–3287/2009–10 का खाता, खेसरा, रकवा अन्य रैयत के नाम जमाबन्दी में कायम होकर एक ही खाता खेसरा रकवा की जमीन का जमाबन्दी दो रैयतों के नाम से कायम हो गया उसे सुधार करने का आदेश दिया गया। इसलिये निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः रिविजनकर्त्ता के आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

27.7.2015
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1871-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक–30 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को न्यायालय, समाहर्त्ता, सहरसा के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/15
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

30/7/15